भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4078

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

भू-जल का अत्यधिक दोहन

4078. श्री आदित्य यादव:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि हमारे देश में विश्व के मीठे जल संसाधन का मात्र चार प्रतिशत है और भू-जल का वार्षिक पुनर्भरण की मात्रा से कहीं अधिक दोहन किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में भू-जल का उपयोग वैश्विक उपयोग का एक चौथाई, अर्थात् चीन और संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) के संयुक्त कुल उपयोग से अधिक है, सरकार द्वारा भू-जल के पुनर्भरण हेतु प्रणाली विकसित करने और इसे अनुरक्षित रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): सरकार इस बात से अवगत है कि भारत विश्व में भूजल का सबसे अधिक उपयोग करने वाले देशों में से एक है और देश के पास अपनी जनसंख्या, जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17% है, की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विश्व के स्वच्छ जल भंडारों का लगभग 4% भंडार है।

वर्ष 2023 के डॉयनेमिक भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट के अनुसार, कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आंकलन 449 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) किया गया है, देश के लिए कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 407.21 बीसीएम और सभी उद्देश्यों के लिए कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 241.34 बीसीएम है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 की संसाधन आंकलन रिपोर्ट को वर्ष 2017 के साथ तुलना करने पर, यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि देश में 'सुरक्षित' आंकलन इकाइयों (एयू) की हिस्सेदारी 62.6% से बढ़कर 73.1% हो गई है, जबकि 'अति-दोहित' इकाइयों की हिस्सेदारी उक्त अवधि में 17.2% से घटकर 11.2% हो गई है।

(ख): जल राज्य का विषय है, भूजल सहित जल संसाधनों के विकास, विनियमन और प्रबंधन से संबंधित मामलों का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार द्वारा अपनी संस्थाओं और विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों समर्थन प्रदान किया जाता है। देश में जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण में सुधार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं -

i. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण, देश के जलभृत्तों की मैपिंग,

विनियामक प्राधिकरणों की स्थापना कर निष्कर्षण के उचित विनियमन तथा सतही एवं भूजल के एकीकृत विकास का आह्वान किया गया है।

ii. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जो वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें देश के जल की कमी वाले 151 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक अम्ब्रेला अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के संमिलन में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जलभृत विन्यास और उनके विशिष्टीकरण की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम) आरंभ किया गया है। इस स्कीम के तहत देश के लगभग 25 लाख वर्ग किमी के कुल मैपिंग योग्य क्षेत्र को शामिल कर मैपिंग कार्य कर लिया गया है और इन प्रबंधन योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है। इन योजनाओं में मांग प्रबंधन के साथ-साथ कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए भी सिफारिशें करना शामिल हैं।

iv. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा पूरे देश के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है और इसे राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है, जिसमें 185 बीसीएम (बिलियन घन मीटर) जल के संचयन के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है।

v. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो 7 राज्यों के जल की कमी वाले 80 जिलों में भूजल के मांग पक्ष प्रबंधन पर बल देते हुए सहभागी भूजल प्रबंधन हेतु एक समुदाय आधारित स्कीम है। इस योजना के तहत विभिन्न वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण संरचनाओं जैसे चेक डैम, तालाब, शाफ्ट आदि के निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

vi. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर योजना शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण / पुनरुद्धार किया गया है।

vii. देश में भूजल की स्थिति में संवर्धन हेतु भारत सरकार की कई अन्य महत्वपूर्ण पहल का विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है-

https://jalshakti-dowr.gov.in/document/steps-taken-by-the-central-government-to-control-water-depletion-and-promote-rain-water-harvesting-conservation/

viii. इसके अतिरिक्त, कई राज्यों द्वारा जल संरक्षण/संचयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। उनमें से कुछ उल्लेखनीय कार्य राजस्थान में 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान', महाराष्ट्र में 'जलयुक्त शिवर', गुजरात में 'सुजलाम सुफलाम अभियान', तेलंगाना में 'मिशन काकतिया', आंध्र प्रदेश में 'नीरू चेट्टू', बिहार में 'जल जीवन हरियाली', हरियाणा में 'जल ही जीवन', तमिलनाडु में 'कुडीमारमठ' योजना आदि हैं।

*****